

# कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना में शामिल होने का सुनहरा अवसर

## कृषकों के लिए खुशखबरी...

कृषि वानिकी योजना से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाएं

मात्र 10रु० प्रति पौधे की सुरक्षित राशि तीन वर्षों के लिए देकर पौधे प्राप्त करें.  
तीन वर्ष बाद सुरक्षित जमा राशि 10 रु० वापस कर दी जायेगी.



आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि  
**30.03.2020**

⇒ विस्तृत जानकारी एवं शर्तों के लिए [www.forest.bih.nic.in](http://www.forest.bih.nic.in) देखें.

⇒ संलग्न आवेदन भरकर,

[hariyalimission@gmail.com](mailto:hariyalimission@gmail.com) पर ई० मेल करें.

या

स्थानीय वन प्रमंडल या वन प्रक्षेत्र कार्यालय में

या

Whatsapp No. 7903162319 पर आवेदन समर्पित करें.

कृषि वानिकी-अन्य प्रजाति योजना में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

- वन प्रमंडल का नाम :- .....
- जिला का नाम :- .....
- वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :- .....
- प्रखंड का नाम :- .....
- आवेदक का नाम :- .....
- पिता/पति का नाम :- .....
- पेशा :- .....
- जन्म तिथि :- .....
- स्थायी पता :- .....
- वर्तमान पत्राचार का पता :- .....
- (दूरभाष/मोबाईल नं०) .....
- ई-मेल (यदि हो) :- .....
- भूमि का विवरण :-

क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष

- समूह में आवेदन करने पर भूमि की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)

क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष

- अगर आप प्राथमिकता क्रम 2(i) या 2(ii) के तहत दावा रखते हैं तो इसकी विवरणी अंकित करें।

- प्रस्तावित वृक्षारोपण (कृपया ✓ करें)

(क) फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर)

(ख) कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर)

- इच्छित प्रजाति का नाम लिखें।

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या

- बैंक खाता विवरणी :-

बैंक खाता नं०	बैंक का नाम एवं शाखा	I.F.S.C कोड

- घोषणा :- मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता/चाहती हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आँधी तूफान में गिरने/सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूँगा/करूँगी। पौधों का सुरक्षित मूल्य देने के लिए मैं सहमत हूँ।

संलग्न अभिलेख की विवरणी

- 
- 
- 

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम  
(तिथि के साथ)